[2021] 8 एस.सी.आर. 645

मैसर्स प्रेम कॉटेक्स

बनाम

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। एवं ओ.आर.एस.

(सिविल अपील संख्या 7235 ऑफ 2009)

अक्टूबर 05, 2021

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यम, जेजे।]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - 2(1)(जी) - सेवा में कमी - जब नहीं - प्रतिवादी द्वारा उठाई गई अतिरिक्त मांग क्रमांक 3 विशेष अवधि के लिए जारी किए गए बिलों में लागू किए गए गलत मल्टीपल फैक्टर (एमएफ) के मद्देनजर कम बिलिंग का आरोप - अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई, साथ ही अधिनियम की धारा 56, 2003 के तहत याचिका दायर की गई - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा शिकायत खारिज कर दी गई - चालू अपील, आयोजित: धारा 56(2) के तहत बार के प्रश्न पर जाने से पहले, उपभोक्ता मंच यह पता लगाने के लिए बाध्य है कि क्या सेवा में कोई कमी थी - संक्षिप्त मूल्यांकन के रूप में अतिरिक्त मांग उठाना नोटिस, इस आधार पर कि विशेष अवधि के दौरान जारी किए गए बिलों में गुणा कारक का गलत उल्लेख किया गया था, सेवा में कमी के समान नहीं है - यदि लाइसेंसधारी को ऑडिट के दौरान या अन्यथा पता चलता है कि उपभोक्ता को कम बिल दिया गया है, तो वह हकदार है मांग उठाना - जब तक उपभोक्ता लाइसेंसधारी द्वारा किए गए दावे की सत्यता पर विवाद नहीं करता है कि कम मूल्यांकन हुआ था, तब तक उपभोक्ता यह दावा करने के लिए खुला नहीं है कि कोई कमी थी - अपीलकर्ता ने कभी भी इसकी शुद्धता पर विवाद नहीं किया उत्तरदाताओं का दावा है कि लागू किया जाने वाला एमएफ 10 था, लेकिन इसे 5 के रूप में गलत तरीके से लागू किया गया था - राष्ट्रीय आयोग ने सही ढंग से बताया कि यह "बच गए मूल्यांकन" का मामला है, न कि "सेवा में कमी" का - उत्तरदाता किसी भी कमी के लिए दोषी नहीं हैं सेवा - शिकायत उचित रूप से खारिज की गई - विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 56(2)

विद्युत अधिनियम, 2003 - धारा 56(2) - धारा के तहत रोक - धारित: धारा 56(2) के तहत रोक लाइसेंसधारक के दो अलग-अलग अधिकारों पर लागू होती है, (i) वसूली का अधिकार (ii) कनेक्शन काटने का अधिकार - कनेक्शन काटने के अधिकार के प्रवर्तन के संदर्भ में बार, सीमा के कानून का एक अपवाद है - सीमा अधिनियम, 1963।

विद्युत अधिनियम, 2003 - धारा 56(1) - धारा 56(2) पर प्रभाव पर चर्चा की गई।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 अपीलकर्ता ने उत्तरदाताओं के दावे की सत्यता पर कभी विवाद नहीं किया कि लागू किया जाने वाला गुणन कारक (एमएफ) 10 था, लेकिन इसे गलती से 5 के रूप में लागू किया गया था। धारा 56(2) का सावधानीपूर्वक अध्ययन), विद्युत अधिनियम, 2003 दिखाएगा कि इसमें निहित रोक केवल आपूर्ति के वियोग के संबंध में नहीं है, बल्कि वसूली के संबंध में भी है। यदि धारा 56 की उपधारा (2) को दो भागों में विच्छेदित किया जाए तो इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा: - (i) इस धारा के तहत किसी भी उपभोक्ता से देय कोई भी राशि उस तारीख से दो साल की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी जब ऐसी राशि पहली बार बनी हो देय; और (ii) लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति में कटौती नहीं करेगा। इसलिए, बार वास्तव में लाइसेंसधारी के दो अलग-अलग अधिकारों पर काम करता है, अर्थात्, (i) वसूली का अधिकार; और (ii) संबंध विच्छेद करने का अधिकार। कनेक्शन काटने के अधिकार के प्रवर्तन के संदर्भ में रोक वास्तव में सीमा के कानून का एक अपवाद है। परिसीमा के नियम के तहत, जो समाप्त हो गया है वह उपचार है, अधिकार नहीं। परिसीमा के कानून द्वारा जो समाप्त किया जाता है, वह कानून की अदालत के माध्यम से उपाय है, न कि कोई उपाय उपलब्ध है, यदि कोई हो, तो कानून की अदालत के माध्यम से। हालाँकि, धारा 56(2) न केवल वसूली के सामान्य उपाय पर रोक लगाती है, बल्कि संबंध विच्छेद के उपाय पर भी रोक लगाती है। धारा 56(2) का दूसरा भाग परिसीमा कानून का अपवाद है। एक बार यह माना जाता है कि "पहली देय" शब्द का अर्थ वह तारीख होगी जिस पर बिल जारी किया जाता है, (जैसा कि रहमतुल्लाह खान के पैरा 6.9 में माना जाता है) और एक बार यह माना जाता है कि सीमा की अवधि खोज की तारीख से शुरू होगी गलती (जैसा कि रहमतुल्ला खान के पैराग्राफ 9.1 से 9.3 में है), तो लाइसेंसधारी को किसी अन्य तरीके से राशि वसूलने की अनुमति देने, लेकिन आपूर्ति बंद करने का सहारा न लेने

की अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन रहमतुल्ला खान अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं कि "लाइसेंसधारी अतिरिक्त मांग की वसूली के लिए कानून में उपलब्ध किसी भी उपाय का सहारा ले सकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के तहत आपूर्ति के विच्छेदन का सहारा लेने से रोक दिया गया है।" रहमतुल्ला खान का फैसला तथ्यों के आधार पर अलग है। [पैरा 9, 14-16 और 18]

> *सहायक अभियंता (डी1), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य। बनाम रहमतुल्लाह खान उर्फ रहमजुल्ला* ***(2020) 4 एससीसी 650:[2020] 2 एससीआर 929 प्रतिष्ठित।***

1.2 अन्यथा भी इस मामले में दो बातें हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। पहला यह है कि क्या अतिरिक्त मांग उठाना, अपने आप में सेवा में किसी कमी के समान होगा, उपभोक्ता मंच को विवाद से निपटने की शक्ति प्रदान करेगा, रहमतुल्ला खान में उठाया या विचार नहीं किया गया था। दूसरा, धारा 56 की उपधारा (1) का उपधारा (2) पर प्रभाव है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित मंच दोषपूर्ण वस्तुओं के संबंध में या सेवाओं में कमी के संबंध में उपभोक्ता की शिकायत से निपटने का हकदार है। शब्द "कमी" को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(जी) में परिभाषित किया गया है। "अल्प मूल्यांकन नोटिस" के रूप में एक अतिरिक्त मांग उठाना, इस आधार पर कि बिल के दौरान उठाए गए समय की विशेष अवधि में, गुणा कारक का गलत उल्लेख किया गया था, यह सेवा में कमी के समान नहीं हो सकता। यदि किसी लाइसेंसधारी को ऑडिट के दौरान या अन्यथा पता चलता है कि उपभोक्ता को कम बिल भेजा गया है, तो लाइसेंसधारी निश्चित रूप से मांग बढ़ाने का हकदार है। जब तक उपभोक्ता लाइसेंसधारी द्वारा किए गए दावे की सत्यता पर विवाद नहीं करता है कि कम मूल्यांकन हुआ था, तब तक उपभोक्ता यह दावा करने के लिए खुला नहीं है कि कोई कमी थी। यही कारण है कि, राष्ट्रीय आयोग ने अपने आदेश में सही ढंग से बताया कि यह "मूल्यांकन से बच निकलने" का मामला है, न कि "सेवा में कमी" का। [पैरा 19-21]

1.3 वास्तव में, धारा 56(2) के प्रश्न पर जाने से पहले भी, उपभोक्ता मंच यह पता लगाने के लिए बाध्य है कि क्या सेवा में कोई कमी थी। ऐसा तभी होता है जब राशि की वसूली

के लिए लाइसेंसधारी द्वारा अपनाए गए सहारा को धारा 56 के संदर्भ में परीक्षण के लिए रखा जा सकता है। उत्तरदाताओं को सेवा में किसी भी कमी का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और इसलिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया जाता है। बिल्कुल सही क्रम में. दूसरे पहलू के संबंध में, अर्थात्, धारा 56 की उप-धारा (2) पर उप-धारा (1) का प्रभाव, यह देखा जाता है कि उप-धारा (1) की निचली रेखा किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान करने में लापरवाही है बिजली के लिए कोई शुल्क. उपधारा (1) शब्दों से प्रारंभ होती है

"जहां कोई भी व्यक्ति बिजली के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने या उससे देय बिजली के शुल्क के अलावा किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने में उपेक्षा करता है"। उप-धारा (2) शब्दों का उपयोग करती है "इस धारा के तहत किसी भी उपभोक्ता पर कोई राशि बकाया नहीं है"। इसलिए, उप-धारा (2) के तहत रोक धारा 56 के तहत देय राशि से संबंधित है। उप-धारा (1) विशेष रूप से संबंधित है बिजली के लिए किसी भी शुल्क या बिजली के शुल्क के अलावा किसी अन्य राशि का भुगतान करने में किसी व्यक्ति की ओर से लापरवाही। उप-धारा (1) के तहत धारा 56 में जो शामिल है, वह बिजली के लिए भुगतान करने में किसी व्यक्ति की ओर से लापरवाही है और कुछ और नहीं और न ही लाइसेंसधारी की ओर से कोई लापरवाही है। [पैरा 22-24]

1.4 दूसरे शब्दों में, लाइसेंसधारी की ओर से लापरवाही जिसके कारण पहली बार में कम बिलिंग हुई और गलती का पता चलने के बाद उसे सुधारना, उप के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। - धारा 56 की धारा (1)। नतीजतन, किसी लाइसेंसधारी द्वारा अपनी गलती का पता चलने के बाद किया गया कोई भी दावा, शरारत के दायरे में नहीं आ सकता है, अर्थात्, "इस धारा के तहत किसी भी उपभोक्ता से कोई राशि देय नहीं है", उप- में प्रदर्शित होता है। धारा 2)। धारा 56 की उपधारा (1) यदि कोई व्यक्ति "बिजली के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने में उपेक्षा करता है" तो विद्युत आपूर्ति को काटने से संबंधित है। भुगतान में लापरवाही का सवाल लाइसेंसधारी द्वारा मांग उठाए जाने के बाद ही उठेगा। यदि मांग नहीं बढ़ाई गई है, तो उपभोक्ता के पास बिजली के लिए कोई शुल्क देने में लापरवाही करने का कोई अवसर नहीं है। धारा 56 की उप-धारा (2) में कनेक्शन काटने के अधिकार सहित वसूली के अधिकार के संबंध में किसी भी अन्य कानून में निहित एक गैर-अस्थिर खंड है। इसलिए, यदि लाइसेंसधारी ने कोई बिल नहीं बनाया है, तो बिल का भुगतान करने में उपभोक्ता की ओर से

कोई लापरवाही नहीं हो सकती है और परिणामस्वरूप उप-धारा (2) के तहत निर्धारित सीमा अवधि शुरू नहीं होगी। जब तक सीमा लागू नहीं हो जाती, वसूली और विच्छेदन की रोक प्रभावी नहीं होगी। इसलिए रहमतुल्ला खान और धारा 56(2) में निर्णय अपीलकर्ता के बचाव में नहीं जाएगा। राष्ट्रीय आयोग द्वारा शिकायत को खारिज करना उचित था और उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। हालाँकि, चूंकि अपीलकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा 19.08.2014 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसार मांग राशि का 50% पहले ही भुगतान कर दिया है, शेष राशि का भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता को आठ सप्ताह का समय दिया गया है। [पैरा 22 27]

महाबीर किशोर एवं अन्य। बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(1989) 4 एससीसी 1: [1989] 3 एससीआर 596 - संदर्भित।

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2020] 2 एससीआर 929 प्रतिष्ठित पैरा 8

[1989] 3 एससीआर 596 को पैरा 12

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार में संदर्भित किया गया है: 2009

की सिविल अपील संख्या 7235 उपभोक्ता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 01.10.2009 से 2009 की शिकायत संख्या 156.

के.सी.मित्तल, अरविंद जैन, हरीश पांडे, अमरेश आनंद, वकील। अपीलकर्ता के लिए.

अरुण भारद्वाज, अतिरिक्त. एजी, राहुल कुमार शर्मा, सुश्री गौरान भारद्वाज, अभिषेक शर्मा, विश्व पाल सिंह, बृजेन्द्र सिंह ढुल, आशीष पांडे, सलाहकार

उत्तरदाताओं के लिए. न्यायालय का फैसला

वी. रामासुब्रमण्यन, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में "राष्ट्रीय आयोग") के एक आदेश को चुनौती देते हुए, उनकी उपभोक्ता शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सेवा में कोई कमी नहीं थी। लाइसेंसधारी (बिजली वितरण कंपनी) का हिस्सा, बिजली का उपभोक्ता उपरोक्त वैधानिक अपील लेकर आया है।

2. हमने श्री को सुना है। के.सी. अपीलकर्ता के विद्वान वकील मित्तल और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित हुए हरियाणा राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अरुण भारद्वाज।

3. अपीलार्थी का हरियाणा के पानीपत में सूती धागा बनाने का व्यवसाय है। अपीलकर्ता के पास एल.एस. है। कनेक्शन, जो 3.08.2006 को सी.डी. 449 केवीए से 850 केवीए के साथ 404.517 किलोवाट से 765 किलोवाट तक बढ़ाया गया।

4. विस्तार की मंजूरी के 3 साल बाद, अपीलकर्ता को तीसरे प्रतिवादी द्वारा दिनांक 11.09.2009 को एक ज्ञापन दिया गया, जिसका शीर्षक "अल्प मूल्यांकन नोटिस" था, जिसमें दावा किया गया था कि हालांकि गुणा कारक (एमएफ) 10 है, यह इस अवधि के बिलों में गलत दर्ज किया गया था 3.08.2006 से 8/09 तक 5 के रूप में और इसके परिणामस्वरूप 1,35,06,585/- रुपये की कम बिलिंग हुई। नोटिस में अपीलकर्ता को मांग के अनुसार राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे।

5. उक्त नोटिस से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने 22.09.2009 को एक अभ्यावेदन दिया और फिर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं द्वारा की गई मांग एक गंभीर गलती और घोर लापरवाही का परिणाम है। भाग और विद्युत अधिनियम, 2003 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 56 के तहत, किसी ग्राहक से देय कोई भी राशि उस तारीख से दो साल की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं है जिस दिन वह पहली बार देय हुई थी।

6. दिनांक 1.10.2009 के एक आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आयोग ने शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह *"मूल्यांकन से बच निकलने"* का मामला है, न कि *"सेवा में कमी"* का मामला है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता हमारे समक्ष है।

7. 13.11.2009 को उपरोक्त अपील में नोटिस का आदेश देते हुए, इस न्यायालय ने विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। हालाँकि, अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए उत्तरदाताओं की ओर से दायर एक आवेदन पर, इस न्यायालय ने 19.08.2014 को स्थगन आदेश को संशोधित करते हुए अपीलकर्ता को पहले प्रतिवादी को एक शर्त के साथ छह सप्ताह के भीतर मांग राशि का 50% भुगतान करने का निर्देश दिया। यदि अपीलकर्ता सफल हो जाता है, तो उक्त राशि 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। तदनुसार, अपीलकर्ता ने 24.09.2014 को 54,03,293/- रुपये की राशि का भुगतान किया है। अपीलकर्ता का दावा है कि उसने 9.10.2009 को ही 13,50,000/- रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है और यह राशि, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार 24.09.2014 को जमा की गई राशि के साथ, राशि का 50% बनती है। जैसा कि दिनांक 11.09.2009 के संक्षिप्त मूल्यांकन नोटिस में मांग की गई थी।

8. अपीलकर्ता के मामले का मुख्य आधार अधिनियम की धारा 56(2) है और ***सहायक अभियंता (डी1), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य में निर्णय में इस न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या है। बनाम रहमतुल्ला खान उर्फ रहमजुल्ला1***

. 9. इससे पहले कि हम अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए वैधानिक प्रावधान और इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, इस तथ्य पर ध्यान देना प्रासंगिक है कि अपीलकर्ता ने कभी भी उत्तरदाताओं के दावे की शुद्धता पर विवाद नहीं किया कि गुणा कारक (एमएफ)) लागू करने के लिए 10 था, लेकिन इसे 5 के रूप में गलत तरीके से लागू किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा उनके प्रतिनिधित्व और उनके उपभोक्ता शिकायत दोनों में उठाई गई एकमात्र शिकायत यह था कि उत्तरदाताओं की ओर से लापरवाही के कारण उन्हें पीड़ित नहीं किया जा सकता है और पहले से ही दिए गए बिल के आधार पर, उन्होंने अपने ग्राहकों से शुल्क लिया है और उनके लिए अपने ग्राहकों के पास वापस जाना संभव नहीं हो सकता है अब एक अतिरिक्त मांग के साथ. इसके अलावा धारा 56 के तहत रोक की भी गुहार लगाई गई।

10. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 इस प्रकार है:

"56. भुगतान न करने पर आपूर्ति विच्छेद करना। - (1)

जहां कोई व्यक्ति किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी को बिजली की आपूर्ति, पारेषण या वितरण या व्हीलिंग के संबंध में बिजली के लिए किसी शुल्क या बिजली के शुल्क के अलावा किसी अन्य राशि का भुगतान करने में उपेक्षा करता है, तो लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी, ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में कम से कम पंद्रह दिनों का नोटिस देने के बाद और ऐसे शुल्क या अन्य राशि को मुकदमे द्वारा वसूल करने के उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बिजली की आपूर्ति काट सकती है और उस उद्देश्य के लिए कटौती या कटौती कर सकती है। ऐसे लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी की संपत्ति होने वाली किसी भी विद्युत आपूर्ति लाइन या अन्य कार्यों को काट दें, जिसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति, पारेषण, वितरण या पहिया किया जा सकता है और ऐसे शुल्क या अन्य राशि तक आपूर्ति बंद कर सकता है, साथ ही उसके द्वारा किए गए किसी भी खर्च के साथ। आपूर्ति काटने और पुनः जोड़ने में भुगतान किया जाता है,

लेकिन अब नहीं: बशर्ते कि बिजली की आपूर्ति नहीं काटी जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति विरोध के तहत,

(ए) उससे दावा की गई राशि के बराबर राशि जमा करता है, या

(बी) उसके और लाइसेंसधारी के बीच किसी भी विवाद का निपटारा होने तक, उसके द्वारा प्रत्येक माह के लिए देय बिजली शुल्क की गणना पिछले छह महीनों के दौरान उसके द्वारा भुगतान की गई बिजली के औसत शुल्क के आधार पर की जाएगी, जो भी कम हो।

(2) तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस धारा के तहत किसी भी उपभोक्ता से देय कोई भी राशि उस तारीख से दो साल की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी जब ऐसी राशि पहली बार देय हुई हो जब तक कि ऐसी राशि न हो। आपूर्ति की गई बिजली के शुल्क के बकाया के रूप में लगातार वसूली योग्य दिखाया जाएगा और लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति में कटौती नहीं करेगा।

11. ***रहमतुल्ला खान*** (सुप्रा) में, इस न्यायालय के विचार के लिए तीन मुद्दे उठे। वे थे (i) अधिनियम की धारा 56(2) में "प्रथम देय" शब्द का क्या अर्थ है; (ii) गलती के कारण गलत बिलिंग टैरिफ लागू होने की स्थिति में, राशि पहली बार कब देय होगी; और (iii) क्या गलती के मामले में दो साल की समाप्ति के बाद लाइसेंसधारी द्वारा कनेक्शन काटने का सहारा लिया जा सकता है।

12. पहले दो मुद्दों पर, इस न्यायालय ने माना कि ***यद्यपि भुगतान करने का दायित्व बिजली की खपत पर उत्पन्न होता है, भुगतान करने का दायित्व केवल तभी उत्पन्न होगा जब लाइसेंसधारी द्वारा बिल उठाया जाएगा और इसलिए, बिजली शुल्क "पहले" हो जाएगा। बिल जारी होने के बाद ही देय होगा,*** भले ही देनदारी उपभोग पर उत्पन्न हुई हो। तीसरे मुद्दे पर, इस न्यायालय ने ***रहमतुल्ला खान*** (सुप्रा) में कहा कि "दो साल की सीमा अवधि उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन धारा 56(2) के तहत बिजली शुल्क पहली बार देय होगा"। इस न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 56(2) लाइसेंसधारी को किसी गलती या वास्तविक त्रुटि के मामले में सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त या पूरक मांग करने से नहीं रोकती है। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 17(1)(सी) और ***महाबीर किशोर एवं अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया। बनाम मध्य प्रदेश राज्य2.***

13. यह मानने के बावजूद कि उपभोक्ता को बिल जारी होने के बाद ही बिजली शुल्क पहली बार देय होगा (एससीसी रिपोर्ट का पैरा 6.9) और यह मानने के बावजूद कि धारा 56(2) लाइसेंसधारी को इसके बाद अतिरिक्त या पूरक मांग बढ़ाने से नहीं रोकती है। किसी गलती या वास्तविक त्रुटि (एससीसी रिपोर्ट के पैरा 9.1) के मामले में उसमें निर्धारित सीमा की अवधि की समाप्ति पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा 56(2) के तहत जो वर्जित है वह केवल आपूर्ति का वियोग है। बिजली. दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा अंतिम पैराग्राफ में यह माना गया था कि लाइसेंसधारी अतिरिक्त मांग की वसूली के लिए कानून में उपलब्ध किसी भी उपाय का सहारा ले सकता है, लेकिन धारा 56(2) के तहत आपूर्ति के विच्छेदन का सहारा लेने से रोक दिया गया है। .

14. लेकिन धारा 56(2) को ध्यान से पढ़ने पर पता चलेगा कि इसमें मौजूद रोक केवल आपूर्ति काटने के संबंध में नहीं है, बल्कि वसूली के संबंध में भी है। यदि धारा 56 की उपधारा (2) को दो भागों में विच्छेदित किया जाए तो इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा: 2(1989) 4 एससीसी

(i) इस धारा के तहत किसी भी उपभोक्ता से देय कोई भी राशि उस तारीख से दो साल की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी जब ऐसी राशि पहली बार देय हुई हो

(ii) और लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति में कटौती नहीं करेगा।

15. अर्थात्, (i) वसूली का अधिकार; और (ii) संबंध विच्छेद करने का अधिकार। कनेक्शन काटने के अधिकार के प्रवर्तन के संदर्भ में रोक वास्तव में सीमा के कानून का एक अपवाद है। परिसीमा के नियम के तहत, जो समाप्त हो गया है वह उपचार है, अधिकार नहीं। सटीक रूप से कहें तो, सीमा के कानून द्वारा जो समाप्त हो जाता है, वह कानून की अदालत के माध्यम से उपाय है, न कि कोई उपाय उपलब्ध है, यदि कोई हो, तो कानून की अदालत के माध्यम से। हालाँकि, धारा 56(2) न केवल वसूली के सामान्य उपाय पर रोक लगाती है, बल्कि संबंध विच्छेद के उपाय पर भी रोक लगाती है। यही कारण है कि हम सोचते हैं कि धारा 56(2) का दूसरा भाग परिसीमा के कानून का अपवाद है।

16. जैसा कि यह हो सकता है, एक बार यह माना जाता है कि "पहली देय" शब्द का अर्थ वह तारीख होगी जिस पर बिल जारी किया जाता है, (जैसा कि ***रहमतुल्ला खान*** के पैरा 6.9 में माना जाता है) और एक बार यह माना जाता है कि सीमा की अवधि गलती की खोज की तारीख से शुरू होगी (जैसा कि ***रहमतुल्ला खान*** के पैराग्राफ 9.1 से 9.3 में कहा गया है), तो लाइसेंसधारी को किसी अन्य तरीके से राशि वसूलने की अनुमति देने लेकिन आपूर्ति बंद करने का सहारा नहीं लेने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ***रहमतुल्ला खान*** अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं कि "लाइसेंसधारी अतिरिक्त मांग की वसूली के लिए कानून में उपलब्ध किसी भी उपाय का सहारा ले सकता है, लेकिन

अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के तहत आपूर्ति के विच्छेदन का सहारा लेने से रोक दिया गया है।" "।

17. ***रहमतुल्ला खान*** (सुप्रा) के पैराग्राफ 2 में तथ्यों के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय को कुछ विशिष्ट तथ्यों के कारण यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी किया गया था। उस मामले में उपभोक्ता को जुलाई-2009 से सितंबर-2011 की अवधि के लिए एक विशेष टैरिफ कोड के तहत बिल भेजा गया था। लेकिन ऑडिट के बाद पता चला कि एक अलग टैरिफ कोड लागू किया जाना चाहिए था। इसलिए, जुलाई-2009 से सितंबर-2011 की अवधि के लिए अतिरिक्त मांग उठाते हुए 18.03.2014 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। फिर उपरोक्त अवधि के लिए 25.05.2015 को एक बिल पेश किया गया। इसलिए, उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष मांग को सफलतापूर्वक चुनौती दी, लेकिन लाइसेंसधारी की अपील पर राज्य आयोग ने जिला फोरम के आदेश को पलट दिया। राष्ट्रीय आयोग ने एक संशोधन दायर किया उपभोक्ता द्वारा, राज्य आयोग के आदेश को रद्द कर दिया गया और जिला फोरम के आदेश को बहाल कर दिया गया। यह राष्ट्रीय आयोग का आदेश था जिसे ***रहमतुल्ला खान*** (सुप्रा) में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी

18. आखिरकार, इस न्यायालय ने अपीलों का निपटारा कर दिया, लाइसेंसधारी को आपूर्ति बंद करने का सहारा लेने से रोक दिया, लेकिन उन्हें अतिरिक्त मांग की वसूली के लिए कानून में उपलब्ध किसी भी उपाय का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी। इसलिए, ***रहमतुल्ला खान*** (सुप्रा) में निर्णय तथ्यों पर भिन्न है

19. वैसे भी इस मामले में दो बातें हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते. पहला यह है कि यह सवाल कि क्या अतिरिक्त मांग उठाना, अपने आप में सेवा में किसी कमी के समान होगा, उपभोक्ता मंच को विवाद से निपटने की शक्ति प्रदान करेगा, ***रहमतुल्ला खान*** (सुप्रा) में उठाया या विचार नहीं किया गया था। दूसरा, धारा 56 की उपधारा (1) का उपधारा (2) पर प्रभाव है।

20. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित मंच दोषपूर्ण वस्तुओं के संबंध में या सेवाओं में कमी के संबंध में उपभोक्ता की शिकायत से निपटने का हकदार है। शब्द "कमी" को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(जी) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> *"2(1)(जी) "कमी" का अर्थ है गुणवत्ता में कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता, प्रदर्शन की प्रकृति और तरीका जिसे किसी भी समय लागू कानून के तहत या उसके तहत बनाए रखा जाना आवश्यक है या किसी अनुबंध के अनुसरण में या अन्यथा किसी सेवा के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक है;*

21. "अल्प मूल्यांकन नोटिस" के रूप में अतिरिक्त मांग उठाना, इस आधार पर कि किसी विशेष अवधि के दौरान उठाए गए बिलों में, गुणा कारक का गलत उल्लेख किया गया था, सेवा में कमी के समान नहीं हो सकता। यदि किसी लाइसेंसधारी को ऑडिट के दौरान या अन्यथा पता चलता है कि उपभोक्ता को कम बिल भेजा गया है, तो लाइसेंसधारी निश्चित रूप से मांग बढ़ाने का हकदार है। जब तक उपभोक्ता लाइसेंसधारी द्वारा किए गए दावे की सत्यता पर विवाद नहीं करता है कि कम मूल्यांकन हुआ था, तब तक उपभोक्ता यह दावा करने के लिए खुला नहीं है कि कोई कमी थी। यही कारण है कि, राष्ट्रीय आयोग ने आक्षेपित आदेश में सही ढंग से बताया है कि यह "बच गए मूल्यांकन" का मामला है, न कि *"सेवा में कमी"* का।

22. वास्तव में, धारा 56(2) के प्रश्न पर जाने से पहले भी, उपभोक्ता फोरम यह पता लगाने के लिए बाध्य है कि क्या सेवा में कोई कमी थी। केवल तभी राशि की वसूली के लिए लाइसेंसधारी द्वारा उठाए गए कदम को धारा 56 के संदर्भ में परीक्षण के लिए रखा जा सकता है। यदि मौजूदा मामले को इस पैरामीटर पर परीक्षण किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तरदाताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सेवा में किसी भी तरह की कमी के कारण राष्ट्रीय आयोग द्वारा शिकायत को खारिज करना बिल्कुल उचित है।

23. दूसरे पहलू पर आते हुए, अर्थात्, धारा 56 की उपधारा (2) पर उपधारा (1) का प्रभाव, यह देखा जाता है कि उपधारा (1) की निचली रेखा किसी भी व्यक्ति की लापरवाही है बिजली के लिए कोई भी शुल्क अदा करें. उप-धारा (1) इन शब्दों से शुरू होती है *"जहां कोई व्यक्ति बिजली के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने में उपेक्षा करता है या उससे देय बिजली के शुल्क के अलावा किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने में उपेक्षा करता है"*

24. उप-धारा (2) में "***इस धारा के तहत*** किसी भी उपभोक्ता से कोई राशि देय नहीं है" शब्दों का उपयोग किया गया है। इसलिए, उप-धारा (2) के तहत रोक धारा 56 के तहत देय राशि से संबंधित है। यह स्वाभाविक रूप से हमें उप-धारा (1) में ले जाता है जो विशेष रूप से बिजली के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने में किसी व्यक्ति की ओर से लापरवाही से संबंधित है। या बिजली के शुल्क के अलावा कोई राशि। उप-धारा (1) के तहत धारा 56 में जो शामिल है, ***वह बिजली के लिए भुगतान करने में किसी व्यक्ति की ओर से लापरवाही है और कुछ और नहीं और न ही लाइसेंसधारी की ओर से कोई लापरवाही है।***

25. दूसरे शब्दों में, लाइसेंसधारी की ओर से लापरवाही जिसके कारण पहली बार में कम बिलिंग हुई और गलती का पता चलने के बाद उसे सुधारना, धारा 56 की उप-धारा (1) के अंतर्गत शामिल नहीं है। नतीजतन , किसी लाइसेंसधारी द्वारा अपनी गलती का पता चलने के बाद किया गया कोई भी दावा, उपधारा (2) में प्रदर्शित होने वाली शरारत के अंतर्गत नहीं आ सकता है, अर्थात्, "इस ***धारा के तहत*** किसी भी उपभोक्ता से कोई राशि देय नहीं है"।

26. मामले की जांच दूसरे एंगल से भी की जा सकती है. धारा 56 की उपधारा (1) जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यदि कोई व्यक्ति "बिजली के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने में उपेक्षा करता है" तो विद्युत आपूर्ति को काटने से संबंधित है। भुगतान में लापरवाही का सवाल लाइसेंसधारी द्वारा मांग उठाए जाने के बाद ही उठेगा। यदि मांग नहीं बढ़ाई गई है, तो उपभोक्ता के पास बिजली के लिए कोई शुल्क देने में लापरवाही करने का कोई अवसर नहीं

है। धारा 56 की उप-धारा (2) में किसी भी अन्य कानून में निहित चीज़ों के संबंध में एक गैर-अस्थिर खंड है, जिसमें पुनर्प्राप्ति का अधिकार भी शामिल है।

संबंध विच्छेद करने का अधिकार. इसलिए, यदि लाइसेंसधारी ने कोई बिल नहीं बनाया है, तो बिल का भुगतान करने में उपभोक्ता की ओर से कोई लापरवाही नहीं हो सकती है और परिणामस्वरूप उप-धारा (2) के तहत निर्धारित सीमा अवधि शुरू नहीं होगी। जब तक सीमा लागू नहीं हो जाती, वसूली और विच्छेदन की रोक प्रभावी नहीं होगी। इसलिए ***रहमतुल्ला खान*** और धारा 56(2) में निर्णय अपीलकर्ता के बचाव में नहीं जाएगा।

27. इसलिए, हमारा विचार है कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा शिकायत को खारिज करना उचित था और हमें राष्ट्रीय आयोग के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है। हालाँकि, चूंकि अपीलकर्ता ने 19.08.2014 को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार पहले ही मांग राशि का 50% भुगतान कर दिया है, हम शेष राशि का भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता को आठ सप्ताह का समय देते हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

दिव्या पांडे की अपील खारिज

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।